

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-212/2012  
 संस्थित दिनांक-19.03.2012  
 फाइलिंग क. 234503003102012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

**विरुद्ध**

1-समरत पिता रमेश परते, उम्र-27 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम तुमडीभाट, थाना बैहर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-दलपतसिंह पिता बहादर सिंह, उम्र-55 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम बिरवा, थाना बैहर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-11/02/2016 को घोषित)**

1- आरोपी समरत के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338(दो बार), 337(तीन बार) तथा मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-15.01.2012 को दिन के 1:00 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम कोयलीखापा की गोलाई में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी.50/एम-1041 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, आहतगण रूपलाल एवं चंद्रवती को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित कर, आहतगण मंगल, जगोतिनबाई व चंद्रकलीबाई को साधारण उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना बीमा व बिना वैध लाईसेंस के चलाया एवं आरोपी दलपत के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का मालिक होते हुए वाहन को बिना बीमा व बिना वैध लाईसेंस के चलवाया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रूपलाल जो ग्राम भालापुरी रहता है तथा ट्रेक्टर में हमाली का कार्य करता है। ठेकेदार संतोष

ठाकुर, निवासी नरसिंहटोला बैहर का एनजीओ के अंतर्गत बड़े निवास में संडास बनाने का काम चल रहा था। दिनांक-15.01.2012 को दिन के 1:00 बजे वह मंगलसिंह, जगोतिनबाई, चन्द्रकलीबाई व चन्द्रबतीबाई के साथ ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी-50/एम-1041 से रेत भरकर हालोन नदी से वापस जा रहे थे। उक्त ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चला रहा था, जैसे ही वे कोयलीखापा गोलाई पर पहुंचे तो ट्रेक्टर का टोचन टूट जाने से वे लोग फेंका गए, जिससे मंगलसिंह, जगोतिनबाई, चन्द्रकलीबाई व चन्द्रबतीबाई को चोटें आई थी। आरोपी वाहन चालक वहां से ट्रेक्टर छोड़कर भाग गया था। आरोपी के विरुद्ध फरियादी रूपलाल द्वारा थाना गढ़ी में रिपोर्ट दर्ज करायी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-04/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाकरा घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर दुर्घटना कारित वाहन को जप्त कर, विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर आरोपी समरत के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 एवं आरोपी दलपत के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 का इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी समरत के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338(दो बार), 337(तीन बार) तथा मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अंतर्गत एवं आरोपी दलपत के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी समरत ने दिनांक-15.01.2012 को दिन के 1:00 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम कोयलीखापा की गोलाई में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी.50/एम-1041 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी समरत ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहतगण रूपलाल एवं चंद्रवती को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी समरत ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहतगण मंगल, जगोतिनबाई व चंद्रकलीबाई को साधारण उपहति कारित किया ?
4. क्या आरोपी समरत ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
5. क्या आरोपी दलपत ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का मालिक होते हुए उक्त वाहन को बिना बीमा के एवं बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया ?

#### **विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-**

5— आहत रूपलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। वे लोग ट्रेक्टर में रेत भरकर वापस गढ़ी आ रहे थे। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी समरत चला रहा था। जैसे ही उनका ट्रेक्टर कैलीफाटा और अलनाफाटा के बीच पहुंचा तो ट्रेक्टर ट्रॉली का टोचन टूटने से वे लोग गिर गए थे। आरोपी ने उतार होने के कारण ट्रेक्टर को बंद कर दिया था, जिससे ट्रेक्टर तेजी से उतर रहा था, तभी ट्रेक्टर का टोचन टूट गया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 में उसके हस्ताक्षर हैं। उसका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। उसकी बाएं हाथ की छोटी उंगली दुर्घटना में टूट गई थी और दाहिने पैर में घुटने के पास भी उसे चोट आई थी। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी, क्योंकि वह लोड गाड़ी को घाटी में बंद करके उतार रहा था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 नहीं लिखाई थी और पुलिसवालों ने उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया और न ही पढ़कर सुनाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय ट्रेक्टर सामान्य रफ्तार से चल रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त दुर्घटना में वाहन चालक की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में दुर्घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चालन करने और दुर्घटना के कारण उसे बाएं

हाथ की उंगली में अस्थिभंग होने की पुष्टि तो की है, किन्तु आरोपी की उक्त दुर्घटना में गलती होने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

7— आहत मंगलसिंह (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी समरत को पहचानता है। आरोपी दलपत को नहीं पहचानता। घटना करीब दो साल पुरानी दिन के करीब 2:00 बजे की है। वह आरोपी समरत के ट्रैक्टर में रेत भरकर कोयलीखापा से आ रहा था। उस समय ट्रैक्टर में वह, रूपलाल, चन्द्रकली और अन्य दो लोग थे। ड्राइवर को मिलाकर कुल 6 लोग ट्रैक्टर में बैठे थे, तभी बीच रास्ते में ट्रैक्टर की टोचन टूट गई, जिससे ट्रॉली में बैठे वे लोग दूर जाकर गिर गए थे। उक्त दुर्घटना में उसे हाथ और पैर में चोटें आई थी और खून निकल रहा था। रूपलाल की उंगली टूट गई थी और घुटने में चोट आई थी। चन्द्रकली के कंधे में चोट आई थी। दुर्घटना किसकी गलती से हुई, वह नहीं बता सकता। उक्त घटना के बाद वे लोग थाना गए थे, जहां पुलिस ने उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया था और बाद में पूछताछ की थी।

8— उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चालन करने और दुर्घटना के कारण उसे व रूपलाल, चंद्रकली को चोट कारित होने की पुष्टि तो की है, किन्तु आरोपी की उक्त दुर्घटना में गलती होने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

9— आहत चन्द्रकली (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दो साल पहले करीब 12-1 बजे की है। वे लोग ट्रैक्टर में बैठकर आ रहे थे, उस समय आरोपी समरत ट्रैक्टर चला रहा था, जिसका टोचन टूट गया था और ट्रॉली में बैठे लोग उचककर गिर गए थे। ट्रैक्टर में उसके अलावा अन्य चार लोग बैठे हुए थे। दुर्घटना में उसके सिर पर चोट आई थी और उसका दांत टूट गया था। दुर्घटना में उसके अलावा अन्य लोगों को भी चोट आई थी। घटना के बाद वे लोग थाने गए थे। पुलिस ने उनका चिकित्सीय परीक्षण करवाया था और पूछताछ कर बयान लिये थे।

10— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि दुर्घटना में आरोपी चालक की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में दुर्घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चालन करने और दुर्घटना के कारण उसे चोट कारित होने की पुष्टि तो की है, किन्तु आरोपी की उक्त दुर्घटना में गलती होने के संबंध में अभियोजन



का समर्थन नहीं किया है।

11— चन्द्रबती पन्दे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी समरत को पहचानती है। आरोपी दलपत को नहीं पहचानती। घटना एक साल पुरानी दिन के 12-1 बजे की है। वे लोग ट्रैक्टर में बैठकर उलटा नाला से निवास आ रहे थे, उस समय वह ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठी थी और उसके अलावा मंगलसिंह, रूपलाल, जगोतिन, चन्द्रकली भी बैठे थे। रास्ते में ट्रैक्टर का टोचन टूट गया था, जिससे ट्रॉली अलग हो गई थी और जमीन से टकराने से ट्रॉली में बैठे सभी लोग गिर गए थे। उक्त दुर्घटना में उसे कोहनी में चोट आई थी और ट्रैक्टर में बैठे चन्द्रकली, रूपलाल, जगोतिन को भी चोट आई थी। घटना के समय ट्रैक्टर आरोपी समरत चला रहा था। उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकती। दुर्घटना के बाद उसका ईलाज बैहर अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ कर बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय अचानक गाड़ी का टोचन टूट गया था, जिसमें आरोपी की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में दुर्घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चालन करने और दुर्घटना के कारण उसे, चन्द्रकली, रूपलाल व जगोतिनबाई को चोट कारित होने की पुष्टि तो की है, किन्तु आरोपी की उक्त दुर्घटना में गलती होने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

12— जगोतिनबाई (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी समरत को पहचानती है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को ट्रैक्टर में रेत भरकर वापस निवास आ रहे थे। उक्त रेत हरनाला के पास की नदी से ला रहे थे। उसके साथ रूपलाल, मंगलसिंह और चन्द्रवतीबाई भी थे। वे लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर आ रहे थे। जैसे ही उनका ट्रैक्टर कोयलीखापा के पास पहुंचा तो ट्रैक्टर का टोचन टूट गया और टोचन टूटने से ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग हो गया तथा वे लोग ट्रॉली से बाहर गिर गए, जिससे उसके सिर, घुटने व हाथ की कोहनी, कंधे में चोट लगी थी। घटना के समय ट्रैक्टर आरोपी चला रहा था। उक्त दुर्घटना टोचन टूटने के कारण हुई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि दुर्घटना में आरोपी चालक की कोई गलती नहीं थी तथा वाहन धीरे-धीरे चल रहा था। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में दुर्घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चालन करने और दुर्घटना के कारण उसे

उपहति कारित होने की पुष्टि तो की है, किन्तु आरोपी की उक्त दुर्घटना में गलती होने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

13— साक्षी बैरागसिंह (अ.सा.7), समरत (अ.सा.8) एवं संतोष ठाकुर (अ.सा.13) ने अपनी साक्ष्य में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत ईमन (अ.सा.12), सुशील (अ.सा.9) एवं खेलनसिंह (अ.सा.10) ने पुलिस द्वारा वाहन व दस्तावेज जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

14— अशोक कुमार (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसे लगभग 20 वर्षों से वाहन चलाने का अनुभव है। दिनांक-28.02.2012 को उसके द्वारा वाहन क्रमांक-एम.पी-50 एम-1041 का ट्रॉली सहित मैकेनिकल परीक्षण किया था। परीक्षण करने पर उसने पाया था कि ट्रॉली का टोचन टूटा हुआ था और बाकी पुर्जे ठीक अवस्था में थे। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वाहन के चलते-चलते उक्त प्रकार की गड़बड़ी कभी भी आ सकती है। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह पुष्टि होती है कि वाहन में यांत्रिकी त्रुटि के कारण घटना हुई थी।

15— अनुसंधानकर्ता अधिकारी खेमराज राणा (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-15.01.2012 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-4/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मो.व्ही.एक्ट का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी-50/एम-1041 गवाहों के समक्ष ट्रॉली सहित जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को बैरागसिंह, समरत एवं दिनांक-21.01.2012 को प्रार्थी रूपलाल, मंगलसिंह, चन्द्रकलीबाई, चन्द्रवतीबाई, जगोतिनबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-12.03.2012 को दलपतसिंह से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी संतोष के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-14.03.2012 को आरोपी समरत को गिरफ्तारीपत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार गिरफ्तार किया था, जिस पर उसके

हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान आरोपी के पास ड्राइविंग लायसेंस न होने से एवं वाहन मालिक द्वारा ट्रेक्टर को बिना लायसेंस वाले ड्राइवर को चलाने देना एवं वाहन का बीमा न होने से धारा-3/181, 5/181, 146/196 एवं आहत को फ्रेक्चर होने से धारा-338 भा.द.वि. अंतिम प्रतिवेदन में बढ़ाई गई थी। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाकर रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था तथा विवेचना पूर्ण कर डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

16— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। साक्षी ने अपने कथन में इस तथ्य को भी प्रमाणित किया है कि आरोपी के पास घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को चलाने हेतु वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी और न ही उक्त वाहन बीमित था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उक्त वाहन के मालिक द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति से वाहन चलवाकर और वाहन का बीमा न कराकर मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन किया गया है।

17— प्रकरण में अभियोजन की ओर से आहतगण व चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य का समर्थन किया है कि घटना के समय आरोपी समरत के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर का चालन किया जा रहा था और उक्त वाहन का टोचन ट्रॉली से टूटकर अलग हो जाने से ट्रॉली में बैठे आहतगण को साधारण व घोर उपहति कारित हुई थी। यद्यपि किसी भी आहत व चक्षुदर्शी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी की गलती से उक्त दुर्घटना कारित हुई थी। जिन साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन को घाट से तेजी से उतारने के कथन किये हैं, उन्होंने भी अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी की घटना में कोई गलती न होना स्वीकार किया है। इस प्रकार अभियोजन का कोई भी साक्षी आरोपी के द्वारा वाहन को तेज गति से चलाने व उतावलेपन या उपेक्षा से चलाने के संबंध में अपनी साक्ष्य में स्थिर नहीं रहा है। इस कारण यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी समरत के द्वारा उक्त घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप आहतगण को उपहति कारित हुई। फलतः आरोपी समरत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338(दो बार), 337(तीन बार) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

18— प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित है कि आरोपी समरत के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जा रहा था। अनुसंधानकर्ता अधिकारी खेमराज राणा (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय आरोपी समरत के द्वारा वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के एवं बिना बीमा कराए चलाया जा रहा था तथा आरोपी दलपत ने उक्त वाहन के स्वामी होते हुए भी वाहन को बिना अनुज्ञप्ति वाले चालक से चलवाकर और वाहन का बीमा न कराकर मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 5/180 व 146/196 का उल्लंघन किया है। फलतः आरोपी समरत को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत एवं आरोपी दलपत को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

19— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वे नियमित रूप से उपस्थित होते रहें हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

20— आरोपीगण के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी समरत को मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/—, 1000/—रूपये एवं आरोपी दलपत को मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/—, 1000/—रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी समरत को मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 15-15 दिवस तथा आरोपी दलपत को मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

21— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।



22— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। अतएव उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

23— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/एम-1041 मय दस्तावेज सहित सुपुर्ददार दलपत मर्सकोले पिता बहादुर मर्सकोले, निवासी-ग्राम बिजोरा, तहसील व थाना बैहर, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)